RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. गुंजन सोनी (आर0ए0एस0)

राजस्व अपील सं. 07 / 2022

अपीलांटगण –

1. श्री नारायणराम पुत्र नगाराम
2. श्री पन्नाराम पुत्र नेनाराम
3. श्रीमती चुनी पत्नी नेनाराम
4. श्री डूंगरराम पुत्र कोजाराज
5. श्रीमती चनणी पत्नी कोजाराम
6. श्रीमती वीरों पत्नी चुनाराम

जातियान जाट, निवासीयान केराला, चिड़िया, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री चुनाराम पुत्र राउराम फौत के कायम मुकाम

- 1.1 श्री लुम्भाराम पुत्र चुनाराम
- 1.2 श्री मंगाराम पुत्र चुनाराम
- 1.3 श्रीमती नोजी पत्नी चूनाराम

2 श्री हंसाराम पुत्र राउराम

3 श्री विशनाराम पुत्र बालाराम

4 श्री लुम्बाराम पुत्र बालाराम

5 श्रीमती ईमियों पत्नी बालाराम

जातियान जाट, निवासीयान केराला, चिड़िया, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।

6 श्री तहसीलदार बायतु, जिला बालोतरा।

7 श्री तहसीलदार गिड़ा, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2008 / 163 दिनांक 16.02.2008 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रिणछाराम सियाग, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 5 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (रा.ज.)

निर्णय

दिनांक : 10.06.2025

अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत **तहसीलदार बायतु** के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश **क्रमांक / भू.अ. / 2008 / 163 दिनांक 16.02.2008** के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27.12.2022 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा चिड़िया (नवीन मौजा केराला) तहसील गिड़ा के खेत खसरा 464 / 1 (नवीन खसरा 548 / 464) रकबा 97 बीघा के खातेदारान रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.02. 2018 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी

अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा

पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश **क्रमांक/भू.अ./2008/163 दिनांक 16.02.2008** पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील न्याालय अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर में दिनांक 20.02.2018 एवं इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।.

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं प्रस्तुत अपील में यह कथन किया कि ग्राम चिड़िया (मौजूदा नवसृजित ग्राम केराला) तहसील बाड़मेर (हाल तहसील गिड़ा) में खेत खसरा नम्बर 464 रकबा 258 बीघा 01 बिस्वा अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण संख्या 3 से 5 के पूर्वज स्व. नगाराम एवं स्व. कोजाराम पिसरान चुतराराम की खातेदारी में आया था। उन दोनों खातेदारान ने मिलकर उक्त खेत में से रकबा 97 बीघा का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 02.05.1975 रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 को किया। जिसका खातेदारी रेकर्ड में नवीन खसरा नम्बर 464/1 रकबा 97 बीघा कायम होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 155 से क्रेतागण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 के नाम पर अंकन हुआ। नवीन खसरा नम्बर 464/1 रकबा 97 बीघा का कोई नक्शा न तो नामान्तरकरण संख्या 155 की पुश्त पर बनाया गया और न लट्ठा ट्रेस में उसकी तरमीम हुई। मुल संख्या संख्या 464 का कोई विधिवत विभाजन नहीं हुआ था। उक्त भूमि पर अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण साथ साथ काश्त करते थे व आज भी काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने बिना अपीलान्टस की जानकारी में लाये अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 464/1 रकबा 97 बीघा भूमि का विभाजन हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष दिनांक 16.02.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया तथा उसी दिन बिना रेकर्ड व नक्शा तथा कब्जा की जांच किये मात्र पटवारी की पहचान व रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेश से विभाजन आवेदन पर स्वीकृति दी व मूल खसरा नम्बर 464 के उत्तरी किनारे खसरा नम्बर 548/464 रकबा 45 बीघा चुनाराम रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 554/548 रकबा 57 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 2 हंसाराम के नाम पर कायम कर नामान्तरकरण संख्या 104 ग्राम केराला दिनांक 25.02.2008 को स्वीकृत कर दिया। मूल खसरा नम्बर 464 के दक्षिणी भाग में अपीलांटगण की कदीमी आवासीय ढाणी, पानी का टांका व मवेशी के बाड़े बने हुऐ है। विभाजन आदेश से इस दो भागों में मूल खेत की उतर व दक्षिण माठ पर कायम करने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं है। अपीलाधीन आदेश से नवसृजित खसरा नम्बर 554/548 में अपीलांटगण की पुरानी आवासीय ढाणी बनी हुई है। अपीलांटगण की ढाणी, टांका आदि रेस्पोडेट संख्या 2 के पक्ष में चले जाने से मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। खसरा संख्या 548/464 अपीलांग्ण की खातेदारी के खते खसरा नंबर 464 के भीतर समाहित है। उक्त खसरा का विभाजन करते समय अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 5 को पक्षकार

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

नहीं बनाया गया तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश का वास्तविक ज्ञान अपीलांट की ढाणी का विवाद होने पर विभाजन आदेश की नकल प्राप्त करने पर दिनाक 11.01.2018 को हुआ। यह विभाजन खसरा नम्बर 548/464 रकबा 97 बीघा का है जो रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी का है परन्तु यह खेत अपीलांटस् की खातेदारी के मूल खेत खसरा नम्बर 464 के भीतर आया है। अतः अपलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आलोच्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए माफिक बाहमी बंटवारा किया जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंटगण संख्या 01 ता 5 को नोटिस जारी किये गए, जो तामिल प्राप्त हुए। इस प्रकरण में रेस्पोडेंटगण को अपील में अपीलांट द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना बहस व जवाब कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता व रेस्पोडेंटगण द्वारा कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा चिड़िया (नवीन मौजा केराला) तहसील गिड़ा के खेत खसरा 464/1 (नवीन खंसरा 548/464) रकबा 97 बीघा के खातेदारान रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.02.2018 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश **क्रमांक/भू.अ./2008/163 दिनांक 16.02.2008** पारित किया गया। अपीलांट की मुख्य आपत्ति है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए आलोच्य विभाजन पूर्व में कब्जा काश्त के अनुसार नहीं किया गया। इस पर पत्रवावली के संलग्न दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु का अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु (वर्तमान तहसीलदार गिड़ा) के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर के ताइद व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो की जांच के उपरांत उक्त आलोच्य बंटवारा आदेश पारित होना पाया गया। पक्षकारान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर एंव अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर होना पाया गया। उक्त आलोच्य विभाजन आदेश के बाद हल्का पटवारी द्वारा उक्त आलोच्य विभाजन

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

के आधार पर म्युटेशन खोला गया तथा दिनांक 25.02.2008 को तहसीलदार द्वारा नामातंरकरण स्वीकृत करना बताया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु (वर्तमान तहसीलदार गिड़ा) द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की विधिक पालना करते हुए आलोच्य विभाजन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता हैं। अपीलांट का कथन है कि खसरा नंबर 548/464 खसरा नंबर 464 का ही भाग है, जो बिना पक्षकार बनाये हुए उक्त आलोच्य विभाजन पारित किया गया है। इस संबंध में अपीलांटगण ने अपील के पद संख्या 1 में अंकित किया कि खसरा संख्या 464 रकबा 258 में से रकबा 97 बीघा भूमि रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 को बैचान किया जाना बताया गया है। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हिस्से में आई भूमि रकबा 97 बीघा का ही उक्त विभाजन आदेश पारित किया गया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त आलोच्य विभाजन नियमानुसार सही होना प्रतीत होता है। साथ ही अपीलांटग ने कथन किया कि उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर दिनांक 11.01.2018 को होना प्रकट किया हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व नक्शा में तरमीम की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपील म्याद बाहर 10 वर्षों के बाद पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। प्रकरण में मयाद एवं मेरिट की परिस्थितियों को देखते हुए मौके की स्थिति का तथ्य सारवान नहीं होने से प्रकरण को मयाद व मेरिट पर निर्णीत किया जाना समीचीन प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांटगण का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु (वर्तमान तहसीलदार गिड़ा) द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु (वर्तमान तहसीलदार गिड़ा) द्वारा पारित विभाजन आदेश आदेश आदेश **क्रमांक/भू.अ./2008/163 दिनांक 16.02.2008** को बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)